2598/27-08-2021

दिनांक–25.08.2021 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– यथा संधारित।

दिनांक–25.08.2021 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों एवं विगत् सप्ताह में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक बैठक में दिए गए निदेशों के अनुपालन की समीक्षा की गई, जो निम्नवत हैः–

1. **MIS के माध्यम से प्राप्त विशेष सर्वेक्षण का प्रगति प्रतिवेदन** :– बैठक में सर्वप्रथम विशेष सर्वेक्षण कार्य के प्रथम चरण में लिए गए अंचलों की प्रगति से संबंधित MIS प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत निम्नाकिंत निदेश दिए गएः–

    (i) MIS प्रतिवेदन में Total Shivir की संख्या के पूर्व Total Anchal का कॉलम जोड़ा जाए और उसमें जितने अंचलों में कार्य प्रारंभ किया गया है, उसकी संख्या अंकित की जाए।

    (ii) MIS प्रतिवेदन के कॉलम नं0–4 में अंकित खेसरा संख्या जो पूर्व के सर्वे के अनुसार संधारित है, उसके स्थान पर विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में चिन्हित कुल खेसरों की संख्या अंकित की जाए।

    (iii) प्रतिवेदन के अनुसार 07 जिलों यथा किशनगंज, जहानाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, अररिया, शिवहर, खगड़िया एवं पूर्णियाँ द्वारा त्रिसीमाना का सत्यापन का कार्य 25 प्रतिशत से भी कम किया गया है एवं ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य 10 प्रतिशत भी नहीं किया गया है। इन जिलों के अमीनों द्वारा प्रथम अथवा द्वितीय चरण में क्या कार्य किया जा रहा है, इसकी सघन समीक्षा जिलों के नोडल पदाधिकारियों द्वारा की जाए। यदि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कारण कार्य बाधित है तो एजेंसी के उच्च स्तरीय प्रबंधन को पृच्छा की जाए।

    (iv) सभी जिलों एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को किसी भी परिस्थिति में नवंबर, 2021 तक त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया जाए।

    (v) नोडल पदाधिकारियों द्वारा सभी जिलों की समीक्षा कर वैसे ग्रामों को चिन्हित किया जाए, जहाँ हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा ग्राम सीमा सत्यापित अपडेटेड मानचित्र की आपूर्ति कर दी गई है, परंतु किस्तवार का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। जहाँ किस्तवार का कार्य प्रारंभ किया गया है, वहाँ किस्तवार का कार्य किस तिथि से प्रारंभ किया गया है और किस तिथि तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है, स्पष्ट किया जाए एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण किया जाए। संबंधित किस्तवार के समान ही खानापुरी कार्य प्रारंभ होने की तिथि के आलोक में खेसरों की संख्या को देखते हुए कार्य पूर्ण करने की तिथि निर्धारित की जाए एवं कार्य को पूर्ण किया जाए।

    (vi) MIS प्रतिवेदन में किस्तवार तथा खानापुरी संबंधित प्रतिवेदन में ग्रामों की संख्या को शामिल किया जाए ताकि प्रतिवेदन से स्पष्ट हो कि कितने ग्रामों में किस्तवार एवं खानापुरी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

    (vii) प्रपत्र–6 की प्रविष्टियों के अनुसार तैयार खेसरा पंजी एवं मानचित्र में ग्राम के सभी खेसरों की जाँच कर ली जाए। यदि किसी खेसरा की प्रविष्टि नहीं पाई जाती है अथवा कोई अन्य त्रुटि पाई जाती है तो भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में तत्काल सुधार कर मानचित्र की त्रुटियों का दूर कर लिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रपत्र–6 के आँकड़ों के संधारण एवं उनके सॉफ्टवेयर में संधारण की प्रक्रिया निदेशालय द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में किया जा रहा है।

(viii) जिन ग्रामों में LPM एवं खानापुरी पर्चा का वितरण किया जा रहा है। वहाँ प्राप्त होने वाले आपत्तियों की संख्या एवं उनकी प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाए। LPM वितरित ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के अनुसार ग्राम का रकबा और पूर्व सर्वे के अनुसार ग्राम के रकबा की तुलना कर प्राप्त अन्तर की समीक्षा कर ली जाए।

(अनुपालन– प्रभारी, आई0टी0 सेल एवं प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण शाखा कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

2. <u>द्वितीय चरण के लिए चयनित अंचलों के कार्य की समीक्षा</u> :– विशेष सर्वेक्षण के द्वितीय चरण के लिए चयनित अंचलों में जिला स्तर पर गठित किए गए शिविरों और उनके प्रगति की समीक्षा की गई एवं निम्नाकिंत निदेश दिए गए।

(i) सभी 20 जिलों में द्वितीय चरण के शेष 131 अंचलों के सभी ग्रामों के लिए उद्घोषणा कर शिविर गठित कर अमीनों की टैगिंग करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) द्वितीय चरण में गठित किए जाने वाले शिविरों में वर्त्तमान में कार्यरत अमीनों के साथ उनके वर्त्तमान आवंटित ग्राम के निकट के 4–5 गांव टैग करने हेतु बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया जाए।

(iii) द्वितीय चरण में जिन अमीनों द्वारा सबसे कम प्रपत्र–5 का लेखन एवं प्रविष्टि की गई है, उनसे कारण पृच्छा कर उनके कार्य का विवरण प्राप्त किया जाए एवं आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन– प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण शाखा कोषांग)

3. <u>हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा प्रक्रमवार आपूर्ति किए जाने वाले मानचित्रों की समीक्षा</u> :– बैठक में जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा जिलों को विशेष सर्वेक्षण के विभिन्न प्रक्रमों में आपूर्ति किए जाने वाले मानचित्रों की समीक्षा की गई। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिलावार स्थिति निम्नवत् पाई गईः–

क्र0 सं0	जिला का नाम	एजेंसी का नाम	त्रिसीमाना एवं सीमा सत्यापन के पश्चात् Updation हेतु लंबित नक्शों की संख्या	किस्तवार पश्चात् Updation हेतु लंबित नक्शों की संख्या
01.	बेगूसराय	IIC TECHNOLOGIES LIMITED	36	3
02.	लखीसराय		49	4
03.	खगड़िया		04	
04.	कटिहार		03	
05.	पूर्णियाँ		03	
06.	अररिया		03	
07.	किशनगंज		02	
08.	अरवल		04	
09.	सहरसा	GIS Consortium India Private Limited.	10	
10.	सुपौल		11	
11.	जमुई		01	
12.	पं0 चम्पारण		205	
13.	मधेपुरा		46	
14.	नालंदा	IL&FS Enviromental Infrastructure & Services Ltd.	115	18
15.	शेखपुरा		46	10
16.	मुंगेर		75	0

उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि एजेंसियों द्वारा प्रक्रमवार मानचित्रों की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण जिलों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य बाधित हो रहा है और कर्मियों के कार्य दिवस में हो रही क्षति से सरकार को आर्थिक क्षति भी हो रहा है।

आज बैठक में सर्वसम्मति से हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा बन्दोबस्त कार्यालयों को प्रक्रमवार मानचित्रों की आपूर्ति करने के लिए निम्नवत समय–सीमा तय की गई–

क्र0 सं0	**प्रक्रम का नाम**	**मौजों में संभावित खेसरों की संख्या**	**बन्दोबस्त कार्यालय को अपडेट कर वापस किए जाने की समय सीमा**
01.	त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापित अपडेट मानचित्र	1000 खेसरा से कम	03 दिन
02.	त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापित अपडेट मानचित्र	1000 खेसरा से 5000 खेसरा	4 दिन
03.	त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा सत्यापित अपडेट मानचित्र	5000 खेसरा से अधिक खेसरा	4 दिन
04	किस्तवार अपडेटेड मानचित्र	1000 खेसरा से कम	4 दिन
05.	किस्तवार अपडेटेड मानचित्र	1000 खेसरा से 5000 खेसरा	7 दिन
06.	किस्तवार अपडेटेड मानचित्र	5000 खेसरा से अधिक खेसरा	10 दिन
07.	खानापुरी अपडेटेड मानचित्र	1000 खेसरा से कम	5 दिन
08.	खानापुरी अपडेटेड मानचित्र	1000 खेसरा से 5000 खेसरा	10 दिन
09.	खानापुरी अपडेटेड मानचित्र	5000 खेसरा से अधिक खेसरा	15 दिन

उक्त निर्धारित अधिकतम समय–सीमा के आलोक में निर्णय लिया गया कि यदि एजेंसी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में प्रक्रमवार मानचित्रों की आपूर्ति नहीं की जाती है तो प्रतिदिन विलंब के लिए 1000 रूपये का आर्थिक दंड अधिरोपित करते हुए एजेंसियों को किए जाने वाले भुगतान से बन्दोबस्त कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कटौती की जाए। निदेशित किया गया कि उक्त निर्णय से हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के तुरंत अवगत कराते हुए इसकी सूचना जिलों को दे दी जाए।

(अनुपालन– सहायक निदेशक एवं प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण शाखा कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

4. GIS Lab– बैठक में GIS Lab द्वारा GIS Lab में उपलब्ध एवं आवश्यक संसाधनों, कार्य प्रगति प्रतिवेदन एवं कार्य पद्धति की समीक्षा की गई। निदेशित किया गया कि GIS Lab के लिए आवश्यक सामग्रियों के क्रय का प्रस्ताव यथाशीघ्र संचिका में उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन– सहायक निदेशक , भू–अभिलेख एवं परिमाप)

5. मानचित्रों की बिक्री :– बैठक में उपस्थित उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा मानचित्रों की बिक्री संबंधी प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया। जिलों में खराब प्लॉटर के बारे में प्रतिवेदित किया गया कि जहानाबाद सदर के अंचलाधिकारी द्वारा प्लॉटर मरम्मति के संबंध में HP कम्पनी को भुगतान नहीं किया गया है।

निदेश दिया गया कि जहानाबाद सदर के अंचलाधिकारी से इस संबंध में कारण पृच्छा कर प्राप्त किया जाए

(अनुपालन– प्रशाखा पदाधिकारी , भू–अभिलेख एवं परिमाप)

6. <u>आधुनिक अभिलेखागार भवन</u> :– बैठक में उपस्थापित MRR के नोडल पदाधिकारी–सह–सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, श्री भारत भूषण तिवारी को निदेशित किया गया कि पूर्व से क्रियाशील होने लायक MRR 143 की संख्या के वृद्धि करने के लिए जिलों से समीक्षा कर अन्य MRR को क्रियाशील बनाया जाए। यह भी निदेशित किया गया कि दिनांक–23.08.2021 को तकनीकी परामर्शदातृ समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार MRR में जिन अतिरिक्त सामग्रियों की आपूर्ति की जानी है, उनके संबंध में बैठक की कार्यवाही के आलोक में प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन–श्री भारत भूषण तिवारी, नोडल पदाधिकारी–सह–सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं विजय साम्राज्य, सहायक, बी0पी0एम0यू0)

7. <u>ETS की उपयोगिता</u> :– बैठक में विभिन्न जिलोंमें एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ETS की समीक्षा की गई। निदेशित किया गया कि जिन जिलों में एजेंसियों द्वारा पर्याप्त संख्या में ETS उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण कार्य बाधित हो रहा है, वहाँ के बन्दोबस्त पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर एजेंसी के भुगतान में कटौती का प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन– सहायक निदेशक , भू–अभिलेख एवं परिमाप)

8. <u>क्षेत्रीय भ्रमण</u> :– बैठक में उपस्थित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे जिलों में भ्रमण के क्रम में भ्रमण किए जाने वाले शिविरों के विशेष सर्वेक्षण अमीनों के आवासन की जाँच निश्चित रूप से की जाए एवं प्रतिवेदन सुस्पष्ट, तथ्यपरक एवं अनुशांसित कार्रवाई के साथ उपस्थापित की जाए।

(अनुपालन– निदेशालय स्तर के जिलों सभी नोडल पदाधिकारी , भू–अभिलेख एवं परिमाप)

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84 / 2019......2598...... **पटना, दिनांक** :–27-08-2021

प्रतिलिपि:– श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबन्दी निदेशालय / सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84 / 2019......2598...... **पटना, दिनांक** :–27-08-2021

प्रतिलिपि:– उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84 / 2019......2598...... **पटना, दिनांक** :–27-08-2021

प्रतिलिपि:– एल0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84 / 2019.........2598.........**पटना, दिनांक :–**27-08-2021

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / निदेशालय स्तर के सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84 / 2019.........2598.........**पटना, दिनांक :–**27-08-2021

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84 / 2019.........2598.........**पटना, दिनांक :–**27-08-2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
27/8/21